	राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साअधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	भाद्र 4, सोमवार, शाके 1941 अगस्त 26, 2019 *Bhadra 4, Monday, Saka 1941–August 26, 2019*	

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT

(GROUP-II)

NOTIFICATION

Jaipur, August 21, 2019

No. F. 2(39)Vidhi/2/2019.- The following Act of the Rajasthan State Legislature which received the assent of the Governor on the 20th day of August, 2019 is hereby published for general information:-

THE RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY (OFFICERS AND MEMBERS EMOLUMENTS AND PENSION) (AMENDMENT) ACT, 2019

(Act No. 23 of 2019)

(Received the assent of the Governor on the 20th day of August, 2019)

An

Act

further to amend the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) Act, 1956.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventieth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) (Amendment) Act, 2019.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 2, Rajasthan Act No. 6 of 1957.- In clause (aa) of sub-section (1) of section 2 of the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) Act, 1956 (Act No. 6 of 1957), hereinafter in this Act referred to as the principal Act, the existing expression "telephone facility," shall be deleted.

3. Amendment of section 3, Rajasthan Act No. 6 of 1957.- In section 3 of the principal Act,-

(a) in sub-section (1),-

(i) in clause (a), for the existing expression "fifty thousand rupees", the expression "seventy thousand rupees" shall be substituted; and

(ii) in clause (b), for the existing expression "forty five thousand rupees", the expression "sixty five thousand rupees" shall be substituted; and

(b) in sub-section (2), for the existing expression "1st April, 2017", the expression "1st April, 2019" shall be substituted.

4. Amendment of section 3-A, Rajasthan Act No. 6 of 1957. - In section 3-A of the principal Act,-

(a) for the existing expression "1st April, 2017", the expression "1st April, 2019" shall be substituted; and

(b) for the existing expression "fifty thousand rupees", the expression "eighty thousand rupees" shall be substituted.

5. Amendment of section 4, Rajasthan Act No. 6 of 1957.- In section 4 of the principal Act, for the existing expression "twenty five thousand rupees per mensem with effect from 1st April, 2017", the expression "forty thousand rupees per mensem with effect from 1st April, 2019" shall be substituted.

6. Amendment of section 4-A, Rajasthan Act No. 6 of 1957.- In sub-section (1) of section 4-A of the principal Act,-

(a) for the existing expression "1st April, 2017", the expression "1st April, 2019" shall be substituted; and

(b) for the existing expression "rupees twenty five thousand", the expression "rupees thirty five thousand " shall be substituted.

7. Amendment of section 4-D, Rajasthan Act No. 6 of 1957.- In section 4-D of the principal Act,-

(a) for the existing expression "1st April, 2017", the expression "1st April, 2019" shall be substituted;

(b) for the existing expression "rupees fifty thousand", the expression "rupees one lakh" shall be substituted; and

(c) for the existing punctuation mark ".", appearing at the end, the punctuation mark ":" shall be substituted and thereafter the following proviso shall be added, namely:-

"Provided that if the total amount of reimbursement received in a financial year under this section is less than one lakh rupees, the amount by which the amount of reimbursement is less than one lakh rupees shall be

carried forward for one financial year and the whole amount remained unutilised at the end of second financial year shall stand lapsed.".

8. Insertion of new section 4-E, Rajasthan Act No. 6 of 1957.- After the existing section 4-D and before the existing section 5 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-

"**4-E. Travelling facility to the spouse of the Ex-member.-** The spouse of a deceased Ex-member shall be provided one hundred travelling passes per annum which would entitle her/him to travel by the Rajasthan State Road Transport Corporation service on whichever route it operates in such class of accommodation and subject to such conditions as may be prescribed by the rules made in this behalf.".

9. Amendment of section 5, Rajasthan Act No. 6 of 1957.- In section 5 of the principal Act,-

(a) in sub-section (1),-

(i) for the existing expression "1st April, 2017", the expression "1st April, 2019";

(ii) for the existing expression "forty five thousand rupees", the expression "sixty five thousand rupees"; and

(iii) for the existing expression "forty two thousand rupees", the expression "sixty two thousand rupees",

shall be substituted; and

(b) in sub-section (2),-

(i) for the existing expression "1st April, 2017", the expression "1st April, 2019"; and

(ii) for the existing expression "to the Government Chief Whip and Deputy Government Chief Whip, a sumptuary allowance of fifty thousand rupees per mensem", the expression "a sumptuary allowance of eighty thousand rupees per mensem to the Government Chief Whip and a sumptuary allowance of seventy thousand rupees per mensem to the Deputy Government Chief Whip",

shall be substituted.

10. Amendment of section 6, Rajasthan Act No. 6 of 1957.- In sub-section (1) of section 6 of the principal Act,-

(a) for the existing expression "1st April, 2017", the expression "1st April, 2019";

(b) for the existing expression "salary of forty five thousand rupees", the expression "salary of sixty five thousand rupees"; and

(c) for the existing expression "sumptuary allowance of fifty thousand rupees", the expression "sumptuary allowance of eighty thousand rupees",

shall be substituted.

11. Amendment of section 8, Rajasthan Act No. 6 of 1957.- In clause (b) of sub-section (1) of section 8 of the principal Act,-

(a) for the existing expression "one thousand five hundred rupees", the expression "two thousand rupees"; and

(b) for the existing expression "one thousand seven hundred fifty rupees", the expression "two thousand five hundred rupees",

shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 1st April, 2019.

12. Amendment of section 8-B, Rajasthan Act No. 6 of 1957.- In the existing section 8-B of the principal Act ,-

(a) in sub-section (1), for the existing expression "rupees two lakh", the expression "rupees three lakh" shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 1st April, 2019;

(b) in sub-section (2), for the existing expression "rupees two lakh" wherever occurring, the expression "rupees three lakh" shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 1st April, 2019; and

(c) in proviso to sub-section (3), for the existing expression "rupees two lakh", the expression "rupees three lakh" shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 1st April, 2019.

13. Amendment of section 8-C, Rajasthan Act No. 6 of 1957.- In sub-section (1) of section 8-C of the principal Act, for the existing expression "fifty thousand", the expression "seventy thousand" shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 1st April, 2019.

14 . Insertion of new section 8-E, Rajasthan Act No. 6 of 1957.- After the existing section 8-D and before the existing section 9 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-

"**8-E. Telephone allowance to members.-** With effect from 1st April, 2019, there shall be paid to every member a telephone allowance of two thousand five hundred rupees per mensem.".

15. Amendment of section 9, Rajasthan Act No. 6 of 1957.- For the existing clause (iii) of the Explanation of sub-section (1) of section 9 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"(iii) reimbursement of expenditure on furniture to the extent of eighty thousand rupees to a member residing at Jaipur in the Government accommodation or in the accommodation owned or hired by him with effect from 1st April, 2019 or from the date of occupation of such accommodation, whichever is later, in such manner and subject to such conditions as may be prescribed by rules made in this behalf.".

महावीर प्रसाद शर्मा,
Principal Secretary to the Government.

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 21, 2019

संख्या प.2(39)विधि/2/2019.- राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में "दी राजस्थान लेजिस्लेटिव एसेम्बली (ऑफिसर्स एण्ड मेम्बर्स इमोल्यूमेंट्स एण्ड पेंशन) (अमेण्डमेन्ट) एक्ट, 2019 (एक्ट नं. 23 ऑफ 2019)" का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2019

(2019 का अधिनियम संख्यांक 23)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 20 अगस्त, 2019 को प्राप्त हुई)

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2019 है।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 की धारा 2 का संशोधन.- राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 (1957 का अधिनियम सं.

6), जिसे इस अधिनियम में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (कक) में विद्यमान अभिव्यक्ति "टेलीफोन प्रसुविधा," हटायी जायेगी।

3. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 की धारा 3 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 3 में,-

(क) उप-धारा (1) में,-

(i) खण्ड (क) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "पचास हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "सत्तर हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ii) खण्ड (ख) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "पैंतालीस हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पैंसठ हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ख) उप-धारा (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "1 अप्रेल, 2017" के स्थान पर अभिव्यक्ति "1 अप्रेल, 2019" प्रतिस्थापित की जायेगी।

4. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 की धारा 3-क का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 3-क में,-

(क) विद्यमान अभिव्यक्ति "1 अप्रेल, 2017" के स्थान पर अभिव्यक्ति "1 अप्रेल, 2019" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ख) विद्यमान अभिव्यक्ति "पचास हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "अस्सी हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी।

5. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 की धारा 4 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 4 में विद्यमान अभिव्यक्ति "1 अप्रेल, 2017" के स्थान पर अभिव्यक्ति "1 अप्रेल, 2019" और विद्यमान अभिव्यक्ति "पच्चीस हजार रुपये प्रतिमास" के स्थान पर अभिव्यक्ति "चालीस हजार रुपये प्रतिमास" प्रतिस्थापित की जायेगी।

6. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 की धारा 4-क का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 4-क की उप-धारा (1) में,-

(क) विद्यमान अभिव्यक्ति "1 अप्रेल, 2017" के स्थान पर अभिव्यक्ति "1 अप्रेल, 2019" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ख) विद्यमान अभिव्यक्ति "पच्चीस हजार रुपये की पेंशन" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पैंतीस हजार रुपये की पेंशन" प्रतिस्थापित की जायेगी।

7. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 की धारा 4-घ का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 4-घ में,-

(क) विद्यमान अभिव्यक्ति "1 अप्रेल, 2017" के स्थान पर अभिव्यक्ति "1 अप्रेल, 2019" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ख) विद्यमान अभिव्यक्ति "पचास हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "एक लाख रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ग) अंत में आये विद्यमान विराम चिह्न "।" के स्थान पर विराम चिह्न ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा और इसके पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु यदि इस धारा के अधीन किसी वित्तीय वर्ष में प्राप्त पुनर्भरण की कुल रकम एक लाख रुपये से कम हो तो एक लाख रुपये के पुनर्भरण की रकम से कम रह गई रकम एक वित्तीय वर्ष के लिए अग्रनीत की जायेगी और द्वितीय वित्तीय वर्ष के अंत में बची हुई अप्रयुक्त सम्पूर्ण रकम व्यपगत हो जायेगी ।" ।

8. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 में नयी धारा 4-ङ का अंत:स्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 4-घ के पश्चात् और विद्यमान धारा 5 से पूर्व निम्नलिखित नयी धारा अंत:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"**4-ङ. भूतपूर्व सदस्य के पति/पत्नी को यात्रा सुविधा.-** किसी मृतक भूतपूर्व सदस्य के पति/पत्नी को एक सौ यात्रा पास प्रतिवर्ष दिये जायेंगे जिससे वह, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की सेवा द्वारा, किसी भी ऐसे मार्ग जिस पर वह चलती है, जगह की ऐसी श्रेणी में और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जैसाकि इस निमित्त बनाये गये नियमों द्वारा विहित किया जाये, यात्रा करने का हकदार होगा।"।

9. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 की धारा 5 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 5 में,-

(क) उप-धारा (1) में,-

(i) विद्यमान अभिव्यक्ति "1 अप्रेल, 2017" के स्थान पर अभिव्यक्ति "1 अप्रेल, 2019";

(ii) विद्यमान अभिव्यक्ति "पैंतालीस हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पैंसठ हजार रुपये"; और

(iii) विद्यमान अभिव्यक्ति "बयालीस हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "बासठ हजार रुपये",

प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ख) उप-धारा (2) में,-

(i) विद्यमान अभिव्यक्ति "सरकारी मुख्य सचेतक और सरकारी उप मुख्य सचेतक को 1 अप्रेल, 2017" के स्थान पर अभिव्यक्ति "1 अप्रेल, 2019"; और

(ii) विद्यमान अभिव्यक्ति "सरकारी मुख्य सचेतक और सरकारी उप मुख्य सचेतक को पचास हजार रुपये प्रति मास सत्कार भत्ता संदत्त किया जायेगा"

के स्थान पर अभिव्यक्ति "सरकारी मुख्य सचेतक को अस्सी हजार रुपये प्रतिमास सत्कार भत्ता और सरकारी उप मुख्य सचेतक को सत्तर हजार रुपये प्रतिमास सत्कार भत्ता संदत्त किया जायेगा",

प्रतिस्थापित की जायेगी।

10. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 की धारा 6 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) में,-

(क) विद्यमान अभिव्यक्ति "1 अप्रेल, 2017" के स्थान पर अभिव्यक्ति "1 अप्रेल, 2019";

(ख) विद्यमान अभिव्यक्ति "पैंतालीस हजार रुपये वेतन" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पैंसठ हजार रुपये वेतन"; और

(ग) विद्यमान अभिव्यक्ति "पचास हजार रुपये सत्कार भत्ता" के स्थान पर अभिव्यक्ति "अस्सी हजार रुपये सत्कार भत्ता",

प्रतिस्थापित की जायेगी।

11. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 की धारा 8 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) में,-

(क) विद्यमान अभिव्यक्ति "एक हजार पांच सौ रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "दो हजार रुपये"; और

(ख) विद्यमान अभिव्यक्ति "एक हजार सात सौ पचास रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "दो हजार पांच सौ रुपये",

प्रतिस्थापित की जायेगी और 1 अप्रेल, 2019 से प्रतिस्थापित की हुई समझी जायेगी।

12. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 की धारा 8-ख का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 8-ख में,-

(क) उप-धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "दो लाख रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "तीन लाख रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी और 1 अप्रेल, 2019 से प्रतिस्थापित की हुई समझी जायेगी;

(ख) उप-धारा (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "दो लाख रुपये", जहां कहीं भी आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति "तीन लाख रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी और 1 अप्रेल, 2019 से प्रतिस्थापित की हुई समझी जायेगी; और

(ग) उप-धारा (3) के परन्तुक में विद्यमान अभिव्यक्ति "दो लाख रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "तीन लाख रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी और 1 अप्रेल, 2019 से प्रतिस्थापित की हुई समझी जायेगी।

13. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 की धारा 8-ग का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 8-ग की उप-धारा (1) में विद्यमान अभिव्यक्ति "पचास हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "सत्तर हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी और 1 अप्रेल, 2019 से प्रतिस्थापित की हुई समझी जायेगी।

14. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 में नयी धारा 8-ङ का अंत:स्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 8-घ के पश्चात् और विद्यमान धारा 9 से पूर्व निम्नलिखित नयी धारा अंत:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"**8-ङ. सदस्यों को टेलीफोन भत्ता.-** प्रत्येक सदस्य को 1 अप्रेल, 2019 से दो हजार पांच सौ रुपये प्रतिमास का टेलीफोन भत्ता संदत्त किया जायेगा।"।

15. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 की धारा 9 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण के विद्यमान खण्ड (iii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(iii) जयपुर में सरकारी वास-सुविधा या अपने स्वामित्व वाली या उसके द्वारा किराये पर ली गयी वास-सुविधा में निवास करने वाले सदस्य को 1 अप्रेल, 2019 से या ऐसी वास-सुविधा के अधिभोग की तारीख से, जो भी बाद में हो, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जैसाकि इस निमित्त बनाये गये नियमों द्वारा विहित किया जाये, अस्सी हजार रुपये की सीमा तक के फर्नीचर पर व्यय का पुनर्भरण।"।

महावीर प्रसाद शर्मा,
प्रमुख शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।